

प्रकरण सं० -

तारीख दायर

तारीख फैसला

36 / 2017 / प्रार्थना पत्र

23.03.2017

20.04.2017

उनवान

1-5 लालचन्द्र, राजेन्द्र, लाली, मन्जू, शान्ता पिता मदनलाल नाई निवासी
धनोप तहसील फूलियाकलां

- प्रार्थीगण

बनाम

1- सोहनलाल पिता बालू नाई निवासी धनोप

2-3 रामदेव, गीता पिता देबीलाल गुंवारिया निवासी धनोप

4- मूली पत्नि देबीलाल गुंवारिया निवासी धनोप

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित :- श्री सुनील कुमार शर्मा : अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम धनोप पटवार हल्का धनोप तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 837 आ०न० 928 रकबा 0.02 है०, आ०न० 929 रकबा 0.50 है०, आ०न० 930 रकबा 0.45 है०, आ०न० 931 रकबा 0.45 है०, आ०न० 934 रकबा 0.58 है०, आ०न० 935 रकबा 0.05 है०, आ०न० 936 रकबा 0.08 है०, आ०न० 940 रकबा 0.13 है०, आ०न० 942 रकबा 0.15 है० कुल किता 09 रकबा 2.41 है० स्थित है। प्रार्थीगण की पैरा नं० 1 मे वर्णित आराजीयात के विपक्षीगण पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं० 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगड़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थी की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाना का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 20.04.2017 को विपक्षीगण बावजूद सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम धनोप पटवार मण्डल धनोप संवत 2072 से 75



2

खाता संख्या 837 आ0न0 928 रकबा 0.02 है0, आ0न0 929 रकबा 0.50 है0, आ0न0 930 रकबा 0.45 है0, आ0न0 931 रकबा 0.45 है0, आ0न0 934 रकबा 0.58 है0, आ0न0 935 रकबा 0.05 है0, आ0न0 936 रकबा 0.08 है0, आ0न0 940 रकबा 0.13 है0, आ0न0 942 रकबा 0.15 है0 कुल किता 09 रकबा 2.41 है0 का प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम धनोप पटवार हल्का धनोप तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार की खाता खाता संख्या 837 आ0न0 928 रकबा 0.02 है0, आ0न0 929 रकबा 0.50 है0, आ0न0 930 रकबा 0.45 है0, आ0न0 931 रकबा 0.45 है0, आ0न0 934 रकबा 0.58 है0, आ0न0 935 रकबा 0.05 है0, आ0न0 936 रकबा 0.08 है0, आ0न0 940 रकबा 0.13 है0, आ0न0 942 रकबा 0.15 है0 कुल किता 09 रकबा 2.41 है0 प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की पत्थरगढी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 1000/- (अक्षरे एक हजार रुपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थीगण से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 20.04.2017 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।



a
(के0आर0 खौड़)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

a
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां, जिला-मीरठ

9